

सं. 12013/1/2003-रा.भा. (प्रशि.)/2623

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
(राजभाषा विभाग)

लोकनायक भवन, खान मार्केट,  
नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई, 2003

कार्यालय ज्ञापन

**विषय:-** हिंदी टंकण/आशुलिपि के प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थियों को जारी की गई हिंदी टंकण/आशुलिपि की पाठ्य-पुस्तकें एवं अन्य प्रशिक्षण सामग्री वापिस न लेना ।

वर्तमान में, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण लेने वाले कर्मचारियों को दी जाने वाली हिंदी टंकण/आशुलिपि की पाठ्य-पुस्तकें एवं अन्य प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण पूरा होने पर उनसे वापिस ले ली जाती है । इस संबंध में अनेक प्रशिक्षार्थियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण के दौरान जो हिंदी टंकण/आशुलिपि की पाठ्य-पुस्तकें एवं अन्य प्रशिक्षण सामग्री अध्ययन हेतु उन्हें दी जाती है, उसे प्रशिक्षण पूरा होने पर वापिस न लिया जाए ताकि वे अपने सरकारी कार्य के निष्पादन में उसका सदुपयोग प्रशिक्षण के बाद भी कर सकें । उनके इस सुझाव पर विचार किया गया है तथा इस सुझाव को सरकारी कार्य के प्रति उपयोगी समझते हुए यह निर्णय लिया है कि केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान जारी की गई हिंदी टंकण/आशुलिपि की पाठ्य-पुस्तकें एवं अन्य प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षार्थियों से वापिस न ली जाए ।

2. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त प्रभाग, गृह मंत्रालय द्वारा, उनकी दिनांक 02.06.2003 की टिप्पणी संख्या 91/वित्त- II /हि0/03 के तहत प्रदान की गई सहमति से जारी किया गया है ।

हस्ता/-  
(एस.रमणन)  
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. सभी मंत्रालय/विभाग
2. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
4. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
5. योजना आयोग, नई दिल्ली ।
6. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली ।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. गृह मंत्रालय और राजभाषा विभाग के सभी अधीनस्थ एवं संबद्ध कार्यालय ।
2. सभी संघ शासित क्षेत्र ।
3. गृह मंत्रालय और राजभाषा विभाग के सभी अनुभाग/डेस्क ।
4. निदेशक, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान ।
5. वित्त- II अनुभाग, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनकी टिप्पणी डायरी सं.91/वित्त- II /हि0/03, दिनांक 02.06.2003 के संदर्भ में ।
6. सचिव (रा.भा.) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।
7. संयुक्त सचिव (रा.भा.) के निजी सचिव ।
8. गार्ड फाइल ।

हस्ता/-  
(एस.रमणन)  
अवर सचिव, भारत सरकार